



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र क्र.-03, मौलश्री विहार, रायपुर

## नया रायपुर सेक्टर-12 में आवासीय भवन क्रय करने के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

इस स्थान पर पूर्व में आमंत्रित अभिरूचि आवेदन का विवरण दर्ज करे।

1. आवेदक का नाम :- .....
2. यू.आई.डी. नं. :- .....
3. आरक्षण का वर्ग :- .....
4. भवन का प्रकार :- .....
5. आमंत्रित अभिरूचि आवेदन के साथ जमा राशि रु. .... चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... है।

### संपदा अधिकारी

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र क्र.-03,  
मौलश्री विहार, रायपुर

प्रति,

### संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र क्र.-03,  
मौलश्री विहार, रायपुर

पंजीयन क्रमांक :- .....

भवन क्रमांक :- .....

महोदय,

मैं स्ववित्तीय/एकमुश्त योजनांतर्गत ..... में निर्माणाधीन भवन आबंटन के लिए पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंजीयन स्वीकार करने की कृपा करें। जिसकी विज्ञापित मूल्य रु. .... है।

### आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्म तिथि : ..... आयु : .....
4. पूर्ण पता : .....
5. आधार कार्ड नं. (अनिवार्य) ..... पेन कार्ड नं. ....
6. ई-मेल आईडी : .....
7. फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) : दूरभाष (निवास) ..... (कार्या.) .....  
मो. नं. ....

फोटो

8. आवेदक का बैंक खाता विवरण : बैंक खाता क्र. \_\_\_\_\_  
शाखा का नाम \_\_\_\_\_  
IFSC Code \_\_\_\_\_
9. व्यवसाय : \_\_\_\_\_
10. वार्षिक आय : अ) व्यक्तिगत \_\_\_\_\_  
(समस्त योजनांतर्गत LIG/EWS भवनों : ब) पारिवारिक \_\_\_\_\_  
के हितग्राहियों हेतु अनिवार्य)
11. वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : \_\_\_\_\_
12. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम : \_\_\_\_\_ उम्र \_\_\_\_\_  
एवं विवरण आवेदक से संबंध \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_  
दूरभाष/मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_

### आवेदक द्वारा घोषणा

मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मण्डल के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लॉटरी द्वारा पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तों पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

### आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-

1. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहा है, उसका प्रमाण-पत्र।
2. आय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
3. निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र।
4. पंजीयन राशि रु. \_\_\_\_\_ बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉपट/चालान क्रमांक \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ शाखा का नाम \_\_\_\_\_

स्थान .....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम \_\_\_\_\_

### कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों कि जाँच की गई/आवेदक का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावे।

संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र क्र.-03,

मौलश्री विहार, रायपुर

## भवन क्रय की अभिरूचि/भवन आबंटन संबंधी नियम/शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल पर्यावास भवन, नया रायपुर, एवं शंकर नगर, रायपुर/संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, मौलश्री विहार, रायपुर /कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, राजधानी परियोजना संभाग-2, सेक्टर-27, नया रायपुर से JR. MIG रु. 800/-, SR. MIG रु. 800/-, JR. HIG रु.1000/-, HIG रु. 1000/- तथा SR. HIG रु.1000/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। केवल नये पंजीयन कर्ताओं के लिए पूर्व अभिरूचिकर्ता को निःशुल्क आवेदन पत्र प्रदान किया जावेगा।
2. (अ) नियमानुसार घोषित स्थिर एवं अंतिम मूल्य के 10% राशि आवेदन पत्र के साथ बैंकर्स चेक/डीडी के माध्यम से संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, रायपुर के नाम से जमा किये जायेंगे।  
(ब) पूर्व में अभिरूचिकर्ता आवेदको को वर्तमान में घोषित मूल्य के 10% राशि में से पूर्व में जमा राशि घटाकर शेष राशि संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, रायपुर के नाम से देय बैंकर्स चेक/डीडी प्रस्तुत करना होगा।
3. कुल प्रस्तावित/निर्माणाधीन भवनों में से 10 प्रतिशत भवन अच्छी स्थिति (Better Location) के पूर्ण होने पर ऑफर द्वारा विक्रय किए जावेंगे। 10% भवन मांग ज्यादा होने की स्थिति में एक मुश्त आधार पर क्रय करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। शेष भवनों में से आरक्षण नियमों के अनुसार विभिन्न अंश में भवन आबंटित किए जावेंगे।
4. भवन का आबंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनुसूचित जनजाति 4% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगों के लिए 3% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8) पत्रकार 2% (9) शासकीय कर्मचारी (रायपुर) के लिए 5% (10) शासकीय कर्मचारी अन्य नगर के लिए 3% (11) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2%। उपरोक्तानुसार आरक्षण में किसी प्रवर्ग में रिक्त प्रतिशत के हितग्राही उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसकी पूर्ति अनारक्षित वर्गों से की जावेगी।
5. विज्ञापन में दर्शित पंजीयन आवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक प्राप्त होती है तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लॉटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम लॉटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज तथा कटौती के वापस की जावेगी।
6. पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। तद्संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने पश्चात् यदि हितग्राही द्वारा राशि वापसी की मांग की जाती है तो छ.ग. रेरा नियमानुसार मण्डल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन राशि कटौती/राजसात की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
8. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किशतें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किशत प्राप्त न होने की दशा में छ.ग. रेरा नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज हितग्राही द्वारा देय होगा।
9. पंजीयन पश्चात् आबंटन आदेश में दिये गये तालिकानुसार प्रथम किशत कि राशि के साथ सभी शेष किशतें एकमुश्त जमा करने पर आबंटि को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

10. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि को अग्रिम जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किश्त की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जावेगा।
11. मण्डल द्वारा योजना कार्यदेश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
12. आबंटी को भवन के मूल्य एवं गुणवत्ता पर या निर्माण संबंधी कोई आपत्ति जो सुधारी नहीं जा सकती है, तो वे अपना आबंटन निरस्त करा कर मण्डल में जमा राशि नियमानुसार घोषित दर से ब्याज के साथ राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
13. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे। भवनों में निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।
14. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 05 साल के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं., ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
16. उक्त योजनांतर्गत छ.ग. रेरा एवं मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर/शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो आवेदक को भारित किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा देय होगा।
17. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
18. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में छ.ग. रेरा एवं मण्डल नियमानुसार पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
19. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी की ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते हैं। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो सुरक्षा शुल्क का आबंटी द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होगा।
20. आधिपत्य लेने के संबंध में छ.ग. रेरा नियमानुसार यदि हितग्राही भवन निर्माण कार्य से संतुष्ट नहीं है तो आबंटन निरस्त कर उनकी देय राशि भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस 02 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ देय होगी।
21. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

22. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती है तो मण्डल की अनुमति से उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए छ.ग. रेरा नियमानुसार भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस 02 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ हितग्राही को राशि जमा करना होगा।
23. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क तथा अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।  
(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
24. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
25. मण्डल के द्वारा अभिरूची आमंत्रण में प्रदान किये गये डुप्लेक्स में दर्ज भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। जिसका विवरण संलग्न है।
26. स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटि को देना होगा।
27. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, मौलश्री विहार, रायपुर/ कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, राजधानी परियोजना संभाग-2, सेक्टर-27, नया रायपुर कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं मण्डल के वेबसाईट [www.cghb.gov.in](http://www.cghb.gov.in) में देखा जा सकता है।
28. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
29. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएँ ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि नियमानुसार ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
30. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है, जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
31. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
32. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
33. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर एवं छ.ग. रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
34. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

35. भवन का पूर्ण मूल्य आबंटन आदेश के तालिकानुसार 05 किश्त अथवा भवन निर्माण की भौतिक प्रगति के अनुसार हितग्राही को देनी होगी किन्तु भवन का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा।
36. योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आबंटी को भवन आधिपत्य देने के पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण (Third Party Inspection) किया जावेगा, जिसमें एक पक्ष आबंटी, द्वितीय पक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता एवं तृतीय पक्ष मण्डल द्वारा आदेशित संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी होंगे। यदि निरीक्षण में कोई कमियां पायी जाती है तो कार्यपालन अभियंता 15 दिवस में उसका निराकरण कर आबंटी को सूचित करेंगे। यदि इसके पश्चात् भी आबंटी संतुष्ट नहीं हो तो उस क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को त्रुटियों/कमियों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालन अभियंता को 15 दिवस की अवधि में इसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। तदनुसार निराकरण पश्चात् यदि आबंटी फिर भी संतुष्ट न होने पर अपनी संपूर्ण जमा राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है।
37. आबंटित भवन के मूल्य के समस्त किश्तों के भुगतान पश्चात् लीज एग्रीमेंट के अभिलेखों का पंजीयन रजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी कार्यालय में करने के पश्चात् भवन का आधिपत्य प्रदान किया जायेगा।
38. अभिरुची प्रस्तुतकर्ता के ऐसे आवेदन जिन्होंने पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी भवन आबंटन विकल्प दिया है। वे व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण अमान्य किये जाते हैं तथा उन्हें पूर्व मुखी अथवा पश्चिम मुखी भवन लॉटरी के माध्यम से आबंटित हो सकता है। जो उन्हें स्वीकार करना होगा।
39. अभिरुची प्रस्तुतकर्ता जो नये शर्तों एवं मूल्यों पर भवन का पंजीयन नहीं कराना चाहते हैं। उन्हें कृपया 30 दिवस के अन्दर अपनी जमा राशि वापसी हेतु आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा। घोषित शर्तों के अनुसार जमा राशि बिना ब्याज एवं कटौती कर वापिस किया जायेगा।

### संपदा अधिकारी

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र क्र.-03,  
मौलश्री विहार, रायपुर

### आवेदक द्वारा घोषणा

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 39 तक सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है तथा मुझे मान्य है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

### आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

स्थान .....

दिनांक .....

## General Specifications:

### For Sr. HIG, HIG, Jr. HIG Houses

S.N.	Particulars	Specification
1	Foundation & Super Structure	R.C.C Framed Structure in C.C. M-20 & TMT Bar and Modular Fly Ash Bricks for Brick Masonry in Foundation, Plinth & Boundary Wall and AAC block Masonry for Building Works Superstructure.
2	Joinery	Sal Wood Door Frame with Both Side Laminates Flush Door in Rooms & Flush door with Both Side Commercial Ply Veneering for W.C. & Bath, uPVC Window with Glass and Mosquito wire mesh Shutter.
3	Flooring	Vitrified Floor Tiles of Size 800x800mm for Drawing and Dining & Vitrified Floor Tiles of Size 600x600mm for Bedrooms & Kitchen. Ceramic Tiles for Toilets, Utility area & Verandah. Granite stone for Kitchen Platform & Stair Treads only. Fibre Reinforced Heavy Duty Designer Tiles in Wash Area and Pigment coloured (Rubber Mould) Precast concrete blocks in Porch.
4	Finishing	S.S. Railing for Stair Case & M.S. Railing for other space, Putty with Plastic Emulsion Paint in Internal Walls & TEXTURED exterior paint on Exterior Walls with Cement Primer. Synthetic Enamel Paint Grills.
5	W/S & S/F	G.I. Pipe/C.P.V.C. Pipe, C.P. Fixtures of Branded Company and ISI Marked, P.V.C. Pipe & Fitting for Sanitary Works.
6	Internal Electrification	P.V.C. Pipe with Copper Wiring & Modular Switches.

### Sr. MIG & Jr. MIG Houses

S.N.	Particulars	Specification
1	Foundation & Super Structure	R.C.C Framed Structure in C.C. M-20 & TMT Bar and Modular Fly Ash Bricks for Brick Masonry in Foundation, Plinth & Boundary Wall and AAC block Masonry for Building Works Superstructure.
2	Joinery	Sal Wood Door Frame with Both Side Laminates Flush Door in Rooms & Flush door with Both Side Commercial Ply Veneering for W.C. & Bath. Aluminium Window with Glass and Mosquito wire mesh Shutter.
3	Flooring	Vitrified Floor Tiles of Size 600x600mm for Bedrooms, Kitchen, Dining, Living & Drawing. Ceramic Tiles for Toilets, Utility area & Verandah. Granite stone for Kitchen Platform and Marble in Stair Treads only. Fibre Reinforced Heavy Duty Designer Tiles in Wash Area and Plain Precast concrete blocks in Porch.
4	Finishing	S.S. Railing for Stair Case & M.S. Railing for other space, Putty with Plastic Emulsion Paint in Internal Walls & TEXTURED exterior paint on Exterior Walls with Cement Primer. Synthetic Enamel Paint Grills.
5	W/S & S/F	G.I. Pipe/C.P.V.C. Pipe, C.P. Fixtures of Branded Company and ISI Marked, P.V.C. Pipe & Fitting for Sanitary Works.
6	Internal Electrification	P.V.C. Pipe with Copper Wiring & Modular Switches.

## वचन-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि मुझे भवन आबंटन होने की स्थिति में:-

1. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा।
2. मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
3. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर/जी.एस.टी. आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. मैं मण्डल के अनुमति के बगैर भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा।
5. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य हैं। सभी प्रकार के मण्डल के नियमों का पालन करूंगा।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

नाम.....

पता.....

.....

.....

फोन नं. ....

मोबाईल नं. ....

**नोट :-**

1. जहां-जहां मण्डल का जिक्र किया गया है, उसका आशय संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता एवं भाई-बहिन।

**आवेदक के हस्ताक्षर**